निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1940 (श0)

(सं0 पटना 774) पटना, सोमवार, 13 अगस्त 2018

सं० 5/वि०आ०2-110/2015(खण्ड)-750

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

25 जुलाई 2018

श्री सरयू राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल संप्रति सेवानिवृत्त, पिता-स्व0 तपेश्वर राम, ग्राम-शंकरपुर, पोस्ट-नवीनगर, थाना-नवीनगर, जिला औरंगाबाद, पिन कोड नं0-824308 के विरूद्ध निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत जिला जल एवं स्वच्छता समिति, अरवल जिला के करपी प्रखण्ड के रामपुर चाय पंचायत में विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं एवं अन्य को शौचालय निर्माण के विरूद्ध किये गये भुगतान में से मात्र 115 अदद शौचालय ही जांच में निर्मित पाये गये एवं 227 अदद घरेलू शौचालय निर्माण के विरूद्ध की गई कुल 6,99,310/-रू0 का भुगतान संबंधी अनियमितता आदि का मामला सरकार के संज्ञान में आया।

2. मामले की सम्यक् समीक्षा की गई एवं श्री राम के विरूद्ध उक्त आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-921 दिनांक 02.11.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना-सह-जांच संचालन पदाधिकारी द्वारा गै0स0प्रे0सं0-127 दिनांक 30.08.2017 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जांच प्रतिवेदन में आरोप प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के लिए श्री राम को दोषी माना गया। जांच प्रतिवेदन के आलोक में श्री राम से विभागीय पत्रांक-719 दिनांक 12.09.17 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री राम द्वारा पत्रांक-शून्य दिनांक 12.10.2017 के माध्यम से अपना द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी लिखित अभिकथन विभाग को समर्पित किया गया। श्री राम द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी लिखित अभिकथन की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी लिखित अभिकथन स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया।

4. वर्णित परिपेक्ष्य में श्री सरयू राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है:-

- **पेंशन से 25% (पच्चीस प्रतिशत) राशि की पाँच वर्षों तक कटौती।**

5. उपर्युक्त दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

6. उपर्युक्त दण्ड पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र मिश्र,
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 774-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in